न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर ग्रामीण (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 21 / 2024

उनवान

1. लूणाराम पुत्र मांगीलाल
2. मोहनलाल पुत्र मांगीलाल
3. बालूराम पुत्र लादू

समस्त जाति अहीर, निवासी प्रतापपुरा, मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

–वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र प्रभुदयाल
2. प्रकाश पुत्र प्रभुदयाल
3. प्रहलाद पुत्र प्रभुदयाल
4. प्रभाती पत्नी प्रभुदयाल
5. कमली पुत्री प्रभुदयाल
6. बद्रीप्रसाद पुत्र भैरू
7. रामेश्वर प्रसाद पुत्र भैरू

समस्त जाति अहीर, निवासी प्रतापपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

8. उपपंजीयक कार्यालय उपतहसील मनोहरपुर, जिला जयपुर, राज0।
9. पटवारी हल्का उदावाला, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
10. नायब तहसीलदार उपतहसील मनोहरपुर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
11. राजस्थान सरकार भू–धारक जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर, राज0।

–प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक घोषणा खातेदारीर व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–

1. श्री रविशंकर अग्रवाल, वादी की ओर से

आदेश दिनांक :– 6/5/24

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण व जगदीश नारायण पुत्र छोटीलाल ब्राह्मण निवासी ढाणी कैसूलवा प्रतापपुरा मनोहरपुर में साबिका आराजी खसरा नंबर 3362 / 8 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा ग्राम प्रतापपुरा, मनोहरपुर तत्कालीन तहसील विराटनगर को बहिस्सा बराबर बराबर उक्त भूमि के पूर्व खातेदार भोरिया पुत्र सेडू अहीर निवासी प्रतापपुरा, मनोहरपुर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.09.1985 पंजीयन दिनांक 10.09.1985 को प्रतिफल राशि अदाकर खरीद की गयी है, जिस पर वादीगण व उक्त क्रेता जगदीश का अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जा चला आ रहा है। वादीगण द्वारा अपनी खरीदशुदा भूमि की

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

ातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम करवाने हेतु तत्समय विक्रय पत्र की फोटो प्रति पटवारी हल्का को दे ी व पटवारी हल्का ने विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने का आश्वासन तसमय हाल सेटलमेन्ट कार्यवाही में उपरोक्त साबिका खसरा नंबर 3362/8 के बनने वाले हाल ासरा नंबर 4554/8749 रकबा 0.44 है0, 4536 रकबा 0.25 है0 कुल किता 2 रकबा 0.69 है0 का मिलान ात्रफल साबिका रिकॉर्ड, नक्शा मौका स्थिति के विपरित गलत बनाकर उक्त भूमि की खातेदारी अन्य भूमि े साथ उक्त भैरिया उर्फ भौरिया पुत्र सेडू के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गयी जो कि गलत व नेयम विरूद्ध क्योंकि उक्त खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय करने के श्चात् उक्त भूमि से उसका कभी कोई संबंध अधिकार व कब्जा नहीं रहा न ही वर्तमान में है। उक्त ौरिया पुत्र सेडू की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान प्रतिवादी सं0 6, 7 व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत ल्याणपुरा की खातेदारी दिनांक 26.12.2001 को अपने नाम करवा ली जो भी गलत है क्योंकि उक्त भूमि ौरिया खातेदार के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय करने के पश्चात् भोरिया या उसके वारिसान तिवादी संख्या 1 से 7 तथा मृतक प्रभुदयाल का कोई कब्जा अधिकार एवं संबंध नहीं रहा है।

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2016 में उक्त जगदीश नारायण पुत्र छोटेलाल ब्राह्मण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.09.1985 के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराने हेतु तहसीलदार शाहपुरा के यहां आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार शाहपुरा द्वारा बाद जांच मुताबिक नक्शा साबिका व हाल का मिलान करने से साबिका खसरा नंबर 3362/8 से हाल खसरा नंबर 4554/8749 रकबा 0.44 है0, 4536 रकबा 0.25 है0 होना व क्रेतागण का कब्जा होना मानते हुये न्यायालय श्रीमान् के पत्र क्रमांक राज लोक अ.अभि/2016/247 दिनांक 12.05.2016 को मार्गदर्शन हेतु प्रेषित किया जिस पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रकरण जगदीश नारायण बनाम राज्य सरकार प्रकरण संख्या 85/2016 दुरूस्ती इन्द्राज का अपने निर्णय दिनांक 24.05.2016 द्वारा हाल खसरा नंबर 4554/8749 रकबा 0.44 है0, 4536 रकबा 0.25 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.69 है0 मे से 0.16 है0 का मुताबिक कब्जा काश्त व विक्रय पत्र के उक्त जगदीश नारायण के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश पारित किये व न्यायालय श्रीमान् के आदेश से नामान्तकरण संख्या 783 दिनांक 13.06.2016 से उक्त जगदीश नारायण के नाम हिस्सा 16/69 की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गयी। हाल आराजी खसरा नंबर 4554/8749 रकबा 0.44 है0, 4536 रकबा 0.16 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.69 है0 नवीन राजस्व ग्राम कल्याणपुरा तहसील–शाहपुरा स्थित है जिसके प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक के 53/1035 व प्रतियादीगण संख्या 6 व 7 प्रत्येक के हिस्सा 53/20 व उक्त जगदीश नारायण के हिस्सा 16/69 भाग की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है नकल जमाबंदी हाल संख्या 2074 से 2077 खाता/खतौनी संलग्न याद पत्र है। वादीगण उक्त जगदीश नारायण के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहते है इसलिए उसे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है।

हाल आराजी खसरा नंबर 4554/8749 रकबा 0.44 है0, 4536 रकबा 0.16 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.69 है0 वाके ग्राम कल्याणपुरा तहसील–शाहपुरा के प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम दर्ज 53/69 भाग के 2/3 भाग पर वादीगण संख्या 1 व 2 व 1/3 भाग पर वादी संख्या 3 का बहैसियत खातेदार काश्तकार खरीद के समय से कब्जा चला आ रहा है व वादीगण उपरोक्त हिस्से अनुसार खरीद के समय स काबिज रहकर काश्त व उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिससे प्रतिवादीगण या अन्य किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई संबंध अधिकार व कब्जा नहीं रहा है। वादीगण को उनकी खरीद व कब्जे काश्त की उक्त भूमि की खातेदारी उपरोक्त प्रकार से प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

ने की जानकारी होने पर वादीगण ने विक्रय पत्र दिनांक 10.08.1986 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने हेतु श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के यहां दिनांक 20.06.2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत [redacted] न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा अपने आदेश क्रमांक/रीडर/2019/146 दिनांक 2.07.2019 द्वारा नियमानुसार विक्रय का क्रेताओं के नाम अमल कर पालना रिपोर्ट भिजवाने का तहसीलदार शाहपुरा को आदेश दिया व तहसीलदार शाहपुरा द्वारा दिनांक 12.07.2019 को पटवारी हल्का मनोहरपुर को जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया लेकिन आज तक वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया। आराजी खसरा नंबर 4554/8749 रकबा 0.44 है0, 4536 रकबा 0.16 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.69 है0 नवीन राजस्व ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा के प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम दर्ज 53/69 भाग के 2/3 भाग के वादीगण संख्या 1 व 2 व 1/3 भाग का वादी संख्या 3 खातेदार काश्तकार है जिसकी वादीगण घोषणा कराने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 से उनके नाम दर्ज उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादीगण के नाम उपरोक्त हिस्से अनुसार खातेदारी दुरूस्त करवाने हेतु कई बार कहा तो पहले तो यह कहते हुये टालमटोल करते रहे कि कब्जा आपका है शीघ्र ही खातेदारी दुरुस्त करवा देंगे किन्तु अर्सा सात रोज पूर्व वादीगण के नाम उपरोक्त खातेदारी दुरूस्त कराने से इंकार हो गये व वादीगण को उनके हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करने व अन्य दीगर को रहन बय हस्तान्तरण करने व स्थानान्तरण डीड प्रतिवादी संख्या 8 के कार्यालय में पंजीकरण करवाने व प्रतिवादीगण संख्या 9 लगायत 11 से राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करवाने व पुख्ता निर्माण कार्य करवाने की धमकी दी है। इसलिये वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक आया है।

अन्त में निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 4554/8749 रकबा 0.44 है0, 4536 रकबा 0.16 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.69 है0 नवीन राजस्व ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा के प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम दर्ज 53/69 भाग के 2/3 भाग का वादीगण संख्या 1 व 2 को व 1/3 भाग का वादी सख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे जिसका हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम दर्ज खातेदारी हजफ फरमायी जावे। प्रतिवादीगण उनके नौकर, प्रतिनिधि, एजेन्ट व स्थानापन्न आदि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नंबर 4554/8749 रकबा 0.44 है0, 4536 रकबा 0.16 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.69 है0 नवीन राजस्व ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा के 53/69 भाग पर वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे बल्कि वादीगण को शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त व उसका उपयोग उपभोग करने देवे व प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमि या इसके किसी भी भाग को अन्य दीगर को रहन विक्रय हस्तान्तरण नहीं करे न किसी स्थानान्तरण डीड का पंजीकरण ही करावे न ही राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करावे न करे एवं न ही किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य करे मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधीवत नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण बाद तामील व बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 के विरुद्ध दिनांक 27.03.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में वकील वादी ने प्रदर्श 1 (रजिस्टर्ड विक्रय पत्र), प्रदर्श 2 (जमाबंदी संवत 2074–2077), प्रदर्श 3 (जमाबंदी संवत 2042), प्रदर्श 4 (मिलान क्षेत्रफल), प्रदर्श 5 (जमाबंदी संवत 2057–2058), प्रदर्श 6 (जमाबंदी संवत 2061–2064) एवं

सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

साक्ष्य के समर्थन में शपथ पत्र मुख्य परीक्षण व साक्ष्यकारी में लूणाराम पुत्र मांगीलाल, कालूराम पुत्र नाथूराम को पेश किया गया। साथ ही वकील वादी ने दस्तावेजों की सूची के संलग्न न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शा[illegible] के यहां पूर्व में दायर वाद 65/2016 के आदेश की प्रतिलिपि व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प न्याय आपके द्वार 2016 को तहसीलदार शाहपुरा को अमल दरामद हेतु जारी पत्रांक/164 दिनांक 24.05.2016 पेश किया। वकील वादी ने लूणाराम पुत्र मांगीलाल के बयान दर्ज करवाये।

वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण हाल आराजी खसरा नंबर 4554/8749 रकबा 0.44 है0, 4536 रकबा 0.16 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.69 है0 वाके ग्राम कल्याणपुरा तहसील–शाहपुरा के प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम दर्ज 53/69 भाग के 2/3 भाग पर वादीगण संख्या 1 व 2 व 1/3 भाग पर वादी संख्या 3 का बहैसियत खातेदार काश्तकार खरीद के समय से कब्जा चला आ रहा है व वादीगण उपरोक्त हिस्से अनुसार खरीद के समय से काबिज रहकर काश्त व उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिससे प्रतिवादीगण या अन्य किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई संबंध अधिकार व कब्जा नहीं रहा है। वादीगण को उनकी खरीद व कब्जे काश्त की उक्त भूमि की खातेदारी उपरोक्त प्रकार से प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने की जानकारी होने पर वादीगण ने विक्रय पत्र दिनांक 10.09.1965 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने हेतु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के यहा दिनांक 28.06.2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा अपने आदेश क्रमांक/रीडर/2019/146 दिनांक 12.07.2019 द्वारा नियमानुसार विक्रय का क्रेताओं के नाम अमल कर पालना रिपोर्ट भिजवाने का तहसीलदार शाहपुरा को आदेश दिया व तहसीलदार शाहपुरा द्वारा दिनांक 12.07.2019 को पटवारी हल्का मनोहरपुर को जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया लेकिन आज तक वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया। आराजी खसरा नंबर 4554/8749 रकबा 0.44 है0, 4536 रकबा 0.16 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.69 है0 नवीन राजस्व ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा के प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम दर्ज 53/69 भाग के 2/3 भाग के वादीगण संख्या 1 व 2 व 1/3 भाग का वादी संख्या 3 खातेदार काश्तकार है जिसकी वादीगण घोषणा कराने के अधिकारी है। आराजी खसरा नंबर 4554/8749 रकबा 0.44 है0, 4536 रकबा 0.16 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.69 है0 नवीन राजस्व ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा के प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम दर्ज 53/69 भाग के 2/3 भाग का वादीगण संख्या 1 व 2 को व 1/3 भाग का वादी सख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे जिसका हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम दर्ज खातेदारी हजफ फरमायी जावे। प्रतिवादीगण उनके नौकर, प्रतिनिधि, एजेन्ट व स्थानापन्न आदि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नंबर 4554/8749 रकबा 0.44 है0, 4536 रकबा 0.16 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.69 है0 नवीन राजस्व ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा के 53/69 भाग पर वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे बल्कि वादीगण को शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त व उसका उपयोग उपभोग करने देवे व प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमि या इसके किसी भी भाग को अन्य दीगर को रहन विक्रय हस्तान्तरण नहीं करे न किसी स्थानान्तरण डीड का पंजीकरण ही करावे न ही राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करावे न करे एवं न ही किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य करे मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। अन्त में निवेदन किया कि उक्त वाद के समर्थन में दस्तावेजात मय प्रदर्श पेश एवं साक्ष्य हेतु शपथ पत्र मुख्य परीक्षण पेश किये गये है, जो उक्त वाद को डिक्री फरमाये जाने हेतु आवश्यक हैं।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर)

वकील वादी की बहस को सुना गया। वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात, प्रदर्श, शपथ–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रदर्श 1 (रजिस्टर्ड विक्रय पत्र) से जाहिर होता है के [redacted] पुत्र सेडू जाति अहीर निवासी प्रतापपुरा मनोहरपुर तह0 विराटनगर, जिला जयपुर द्वारा स्वयं की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नंबर 3362/8 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा क्रेता पक्ष नूणाराम, मोहनलाल पिसरान मांगीलाल, बालूराम पुत्र लादू जाति अहीर निवासी प्रतापपुरा मनोहरपुर व जगदीश नारायण पुत्र छोटीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी केसूलवा प्रतापपुरा मनोहरपुर को बराबर हिस्सा बराबर को पूर्व में विक्रय कर दी गई है। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है के साबिक खसरा नंबर 3362/8 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 4554/8749 रकबा 0.44 है0, 4536 रकबा 025 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.69 है0 बने है, जो कि वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त खसरा नंबर की भूमि वादीगण द्वारा पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.09.1985 को प्रतिवादीगण के पूर्वज को प्रतिफल राशि अदा कर क्रय की गई है, जिसके वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में घोषणा के अधिकारी है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, प्रदर्श, शपथ–पत्र का अवलोकन उपरांत वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नंबर 4554/8749 रकबा 0.44 है0, 4536 रकबा 0.16 (0.25 हे0) है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.69 है0 नवीन राजस्व ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा के प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम दर्ज 53/69 भाग के 2/3 भाग का वादीगण संख्या 1 व 2 को व 1/3 भाग का वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा। तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का नाम इजफ कर वादीगण संख्या 1 लगायत 3 का नाम उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। इस आशय का पत्र तहसीलदार शाहपुरा को जारी हो। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को सदैव के लिए पाबंद किया जाता है कि वादीगण की भूमि व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी व मजाहमत पैदा नहीं करें व शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 6/5/2024 को सरै इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण
सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

नोट:- न्यायालय आदेश दिनांक 12/6/24 की पालना में आदेश दिनांक 6/5/24 के द्वितीय पंक्ति में आ०ख०नं. 4536 रकबा 0.16 हे० के स्थान पर 0.25 हे० रकबा संशोधन/दुरुस्त किया जाता है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर ग्रामीण (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद पत्र संख्या :– 21/2024

उनवान

1. लूणाराम पुत्र मांगीलाल
2. मोहनलाल पुत्र मांगीलाल
3. बालूराम पुत्र लादू

समस्त जाति अहीर, निवासी प्रतापपुरा, मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

–वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र प्रभुदयाल
2. प्रकाश पुत्र प्रभुदयाल
3. प्रहलाद पुत्र प्रभुदयाल
4. प्रभाती पत्नी प्रभुदयाल
5. कमली पुत्री प्रभुदयाल
6. बद्रीप्रसाद पुत्र भैरू
7. रामेश्वर प्रसाद पुत्र भैरू

   समस्त जाति अहीर, निवासी प्रतापपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
8. उपपंजीयक कार्यालय उपतहसील मनोहरपुर, जिला जयपुर, राज0।
9. पटवारी हल्का उदावाला, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
10. नायब तहसीलदार उपतहसील मनोहरपुर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
11. राजस्थान सरकार भू–धारक जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर, राज0।

–प्रतिवादीगण

<u>दावा इस्तकरारदहक घोषणा खातेदारीर व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>उपस्थिति :–</u>

12. श्री रविशंकर अग्रवाल, वादी की ओर से

आदेश दिनांक :– 6/5/2024

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नंबर 4554/8749 रकबा 0.44 है0, 4536 रकबा 0.18 [0.25] है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.69 है0 नवीन राजस्व ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा के प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम दर्ज 53/69 भाग के 2/3 भाग का वादीगण संख्या 1 व 2 को व 1/3 भाग का वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा। तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड से तिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का नाम हजफ कर वादीगण संख्या 1 लगायत 3 का नाम उक्तानुसार जर[redacted]कॉर्ड में दर्ज किया जावे। इस आशय का पत्र तहसीलदार शाहपुरा को जारी हो। प्रतिवादीगण ख्या 1 लगायत 7 को सदैव के लिए पाबंद किया जाता है कि वादीगण की भूमि व कब्जे काश्त में किसी कार की दखलअंदाजी व मजाहमत पैदा नहीं करें व शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

उक्त डिक्री आज दिनांक 6/5/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (कार्यवाहक)
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	

नोट:- न्यायालय आदेश दिनांक 12.6.24 की पालना में आदेश व डिक्री दिनांक 6/5/2024 में डिक्री भूमि में आराजी नं. 4536 रकबा 0.16 है० के स्थान पर रकबा 0.25 है० संशोधन/दुरुस्त किया जाता है

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.